राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2433/2024

ननीता देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, चिकित्सा निदेशालय, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक खेतडी, जिला नीमकाथाना (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2024
आदेश की दिनांक : 16.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मुनेश भारद्वाज, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिमला खेतडी, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.07.2023 को अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 1798/2023 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.07.2023 को स्थगन आदेश जारी किया गया और उसे चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत थी, वहीं पर कार्यरत रखे जाने का आदेश अधिकरण द्वारा दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को जुलाई, 2023 से वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने

अनेको बार प्रत्यर्थी विभाग को अनुरोध किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। दिनांक 24.07.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखे जाने के बावजूद भी अपीलार्थी को वेतन भुगतान नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को माह जुलाई, 2023 से वेतन का भुगतान किया जावे तथा शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर सीएचसी शिमला खेतडी, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है और अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2023, 13.07.2023 एवं 18.07.2023 की क्रियान्विति को आदेश दिनांक 20.07.2023 के द्वारा स्थगित किया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त स्थान पर अधिकरण के आदेश की पालना में सेवायें देने के उपरांत वेतन का भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से कार्यग्रहण करवाये जाने के पश्चात् नियमानुसार वेतन भुगतान नहीं किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। आदेश दिनांक 24.07.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपीलार्थी के वेतन भुगतान के संबंध में पत्र लिखा गया। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा भी वेतन आहरण के संबंध में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। जबकि हमारे मत में अपीलार्थी नियमानुसार कार्यग्रहण पश्चात् वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकरण के आदेश दिनांक 20.07.2023 की पालना में जिस तिथी से/दिनांक 24.07.2023 से अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया है, उसी तिथी से/दिनांक 24.07.2023 से नियमानुसार अपीलार्थी को वेतन का भुगतान किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)